बिहार विधान-सभा वादवृत्त

बृहस्पतिवार, तिथि ९ अप्रील, १९६४ ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बृहस्पतिवार, तिथि ९ अप्रील १९६४ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या ८९ के सम्बन्ध में ।

* श्री वीर चन्द पटेल— सभी माननीय सदस्य की इच्छा होती है कि वे अल्प-सूचित प्रश्न दे दें और उनकी यह अन्डरस्टेंडिंग रहती है कि समय पर इसमें कार्रवाई हो जायगी, पर समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण मैं क्षमा चाहता हूं ।

अध्यक्ष— माननीय सदस्य और माननीय मंत्री में जो प्राइवेट बात होती है वह तो सदन के लिए लागू नहीं है ।

*श्री रामानन्द तिवारी— अध्यक्ष महोदय अब तारांकित प्रश्न लेने का समय समाप्त हो गया है इसलिये अल्प-सूचित प्रश्न ही के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है ।

अध्यक्ष— जो पहले वाला प्रश्न है वह तो रहेगा ही ।

सूद की माफी ।

९०। श्री इन्द्र नारायण सिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि राज्य के जो किसान समय पर सरकारी ऋण चुका देंगे उनका सूद माफ कर दिया जायगा ;

(२) यदि उक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार ने ऋण चुकाने की कौन-सी अन्तिम तिथि निर्धारित की है ?

श्री वीर चन्द पटेल— (१) उत्तर नकारात्मक है पर सरकार ने यह निर्णय किया है कि बकाय मूलधन के बराबर रुपया चुका देने पर बकाये सूद के लिए कोई

श्री सभापति सिंह—मुझे उम्मीद थी कि सहयोग मंत्री तेज हैं और साफ जवाब देंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब प्रखंड विकास समिति की बैठक में इसकी चर्चा हुई थी कि मानकी राय रिश्वत मांगते थे और यह बात प्रोसीडिंग्स में आ गई तो फिर इसकी जांच करने में क्या दिक्कत है ?

श्री हरिनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कह दूं कि यह विषय सम्बन्धित है बिहार मार्केटिंग यूनियन से जो कि एक आटोनोमस बड़ी है और वहां से जो रिपोर्ट आई है, उसीके आधार पर मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अगर वे स्पष्ट रूप से कहां-कहां क्या शिकायत है, लिखकर भेजें तो अवश्य ही डीटेल में इसकी इसकी इन्क्वायरी कराऊंगा और उसकी सूचना आपको दूंगा।

श्री सभापति सिंह—माननीय मंत्री महोदय का जो कहना है, वह मुझे मान्य है लेकिन मैं मंत्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि पैकेज प्रोग्राम स्कीम दोनों ब्लाकों में चल रहा है। हर गांव में सोसाइटीज है और अगर किसी सोसाइटी की जांच करेंगे, तो पता चल जायगा।

श्री हरिनाथ मिश्र—माननीय सदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं उसको काफी महत्व देता हूं लेकिन स्पष्ट रूप से मेरे पास लिख कर भेजें यद्यपि वह आटोनोमस बडी है, फिर भी मैं सरकार की तरफ से इसकी जांच कराऊंगा।

अध्यक्ष—आप किसी अधिकारी को भेज कर देख लें कि किसी समिति में ऐसी बात होती है, या नहीं।

श्री हरिनाथ मिश्र—आप लिख कर दे दीजिये तो मुझे सुविधा होगी।

श्री सभापति सिंह—हमने दो नाम दे दिये हैं, आप उसे इक्जामिन कीजिये।

श्री हरिनाथ मिश्र—आप लिख कर दे दें तो हमें सुविधा होगी।

रुपये का गोल-माल।

२०१७। श्री सभापति सिंह—क्या मंत्री, सहयोग विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सारन जिला के गोरेया कोठी प्रखंड के मुख्यालय में जो व्यापार मंडल (Large Size Society) है उसमें १९६३-६४ में लगभग १२ हजार रुपये का गोल-माल हुआ है जो पया सहयोग समिति के सदस्यों से ऋण की वसूली की गयी थी ;

(२) यदि खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उक्त गोल-माल का अभियोग किन लोगों पर है और अभी तक उन लोगों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई की गयी है तथा रुपये के लिये कौन-सी कार्रवाई हो रही है ?

श्री हरिनाथ मिश्र—(१) सारन जिला के गोरिया कोठी प्रखंड के मुख्यालय में व्यापार मंडल सहयोग समिति नहीं है ।

यह प्रखंड के मुख्यालय के बृहदाकार बहुधन्धी सहयोग समिति में लगभग १० हजार रुपये की गड़बड़ी होने की सूचना है ।

(२) बृहदाकार सहयोग समिति के रुपयों की गड़बड़ी की सूचना पुलिस को दे दी गई है एवं इस समिति के मैनेजर जमानत पर हैं । अवर प्रमंडलाधिकारी, सिवान को अदालत से, उन्हें जमानत पर छूटने का आदेश मिला है ।

जिन व्यक्तियों पर अभियोग साबित होगा, उनसे रुपये वसूलने की उचित कार्रवाई की जायेगी ।

श्री सभापति सिंह—मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मैनेजर के अलावे समिति के और जो सदस्य हैं, उनपर भी गोलमाल का चार्ज है, या नहीं ?

श्री हरिनाथ मिश्र—अभी मैनेजर पर ही आरोप है और अभी पुलिस इन्वेस्टीगेशन चल रहा है और उसके फलस्वरूप और लोगों पर भी चार्जशीट दिया गया तो उनपर भी कार्रवाई की जायेगी ।

*श्री कर्पूरी ठाकुर—बृहदाकार नाम की जगह कोई दूसरा नाम होता तो अच्छा था ।

अध्यक्ष—चूंकि लार्ज साइज्ड सोसाईटी लिखा है, उसीका अनुवाद मालूम होता है ।

सूद की दर ।

२०१९ । श्री महेशकान्त शर्मा—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) बिहार राज्य सहकारिता भूमि बन्धक बैंकों की कुल संख्या संप्रति कितनी है और उन सबों में कुल मिलाकर कितनी पूंजी है ;

(२) दरभंगा जिले में सहकारिता भूमि बन्धक बैंक की संख्या क्या है और उनकी पूंजी क्या है ;

(३) उक्त प्रकार के बैंक से किस-किस कार्य के लिये ऋण दिये जाते हैं और सूद की दर क्या रहती है ?